



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 113-2017/Ext.]CHANDIGARH, FRIDAY, JUNE 30, 2017 (ASADHA 8, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 जून, 2017

संख्या 50/एसटी 2- – हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 54 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, अधिसूचित करते हैं कि हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 54 की उपधारा (3) के अधीन अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय को हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की अनुसूची II की मद 5 की उपमद (ख) में विनिर्दिष्ट सेवा के प्रदाय की दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना जुलाई, 2017 के प्रथम दिन से लागू होगी ।

संजीव कौशल

अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।

**HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION**

The 30th June, 2017

No:50/ST-2 – In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 54 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council hereby notifies that no refund of unutilised input tax credit shall be allowed in case of supply of services specified in sub-item (b) of item 5 of Schedule II of the said Act.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.

55451-C.S.-H.G.P., Chd.